गौ सम्मान में प्रार्थना यात्रा निकली

33 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 जुलाई. सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को गौ सम्मान दिवस के अवसर पर गुफा मंदिर से कलेक्टर कार्यालय तक प्रार्थना यात्रा निकली. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण बलराम स्वरूप गौ भक्त गौमाता को साथ लेकर यात्रा में शामिल हुए. यात्रा में साढ़े चार हजार से अधिक गौभक्तों, संतों एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर गो सेवा सुरक्षा और सम्मान के समर्थन में जनजागरण का संदेश दिया. यात्रा के समापन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबोधित 33 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया.

इस मौके पर नंद बाबा पूज्य प्रकाश नारायण गिरी जी महाराज, प्रदेश प्रभारी श्रीराम शर्मा, सह प्रभारी कमल किशोर उपाध्याय, संभाग प्रभारी कवेंद्र शर्मा और परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया, जीवन शर्मा, हरिओम शर्मा सहित अन्य गो प्रेमियों की मौजूदगी रहे.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गोवंश केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती का आधार है.

गौ आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने, पंचगव्य आधारित अनुसंधान, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला, जिला स्तर पर आदर्श गो अभ्यारण्य, गो तस्करी एवं गोवध पर कठोर दंडात्मक कानून, राजमार्गों पर गो एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर तथा स्कूली शिक्षा में गो-विज्ञान को शामिल करने जैसी मांगें भी रखी गई हैं.

शिकायतों का निपटारा नहीं किया तो कार्रवाई होगी

भोपाल, 27 जुलाई. कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को समयसीमा कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एडीएम सुमित कुमार पांडे और जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी ने ली. एडीएम पांडे ने विभाग बार सभी विभागों की सीएम हेल्पलाइन के साथ ही अन्य कार्यों की समीक्षा की.

एडीएम सुमित पांडे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर लंबित सभी शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने आगे कहा कि लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की.

भुट्टों के वेस्ट से बन रही है सीएनजी

नगर निगम भेज रहा है रोज 100 से 120 क्विंटल छिलके और डंठल

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. अब नगर निगम के प्रयासों से शहर के वेस्ट से सीएनजी बनाने का कार्य निरंतर जारी है. इसके लिए भौंरी स्थित पालीवाल बायो एनर्जी में पांच टन के बायो सीएनजी प्लांट में गर्मी के दिनों में गन्ने की चरखी से निकलने वाले सूखे कचरे से सीएनजी गैस का निर्माण किया गया था, वहीं अब भुट्टों के वेस्ट सीएनजी बनाई जा रही है. शहर भुट्टे के ठेलों और दुकानों से रोजाना कचरा इकट्ठा कर भौंरी भेजा जा रहा है.

शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों 4 हजार से ज्यादा भुट्टे के ठेले लग रहे हैं. ऐसे में नगर निगम

रोजाना 100 से 120 क्विंटल छिलके और डंठल और अन्य जैविक पदार्थ निकालकर भौंरी निष्पादन के लिए भेजा रहा है.

इनका कहना है

भुट्टे के डंठल और गन्ने के सूखे कचरे में जैविक ऊर्जा होती है. इनका उपयोग कर ग्रीन फ्यूल तैयार किया जाता है.इस का उपयोग वाहनों के ईंधन में किया जाता है.

वरुण अवस्थी, अपर आयुक्त नगर निगम

रोजाना बन रही है डेढ़ क्विंटल सीएनजी

इस प्लांट से नगर निगम को प्रतिदिन एक से डेढ़ क्विंटल सीएनजी बन रही है. इसका उपयोग बायो सीएनजी से चलते वाले वाहनों में किया जाएगा. इस तरह से ग्रीन फ्यूल को तैयार कर नगर निगम के वाहनों में ही उपयोग किया जाएगा. इससे डीजल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर निगम की निर्भरता कम होगी और कचरे से तैयार बायो सीएनजी का उपयोग वाहनों में होने से कचरे का भी पूरी तरह से निष्पादन हो जाएगा .

शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म

भोपाल. रातीबड़ इलाके में एक 29 साल की महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया. आरोपी युवक से महिला की पहचान सोशल मीडिया पर पहले हुई. इसके बाद दोनों मिलने लगे. माहिला को झांसे में लेकर आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है. जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती है. आरोपी युवक रोहित परमार से महिला की मुलाकात करीब एक महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी.

एग्री-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो-2026

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई.नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो-2026 में संपूर्ण एग्री-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिये प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है. अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश से कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े विभागों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, उद्यमियों तथा किसानों ने सहभागिता की.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है. किसान भाइयों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके इसके लिये सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उत्पादित माल के विक्रय के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे है.

सरकार सेवा शर्तों में समानता लागू करे : सुधीर नायक

आंदोलन करने को विवश हैं कर्मचारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई.मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से सरकारी सेवाओं में समानता एवं समकक्षता के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है.

संघ के अध्यक्ष इंजी. सुधीर नायक ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलन करने को विवश हैं. इससे आम जनता को असुविधा होती है, शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं तथा समय और संसाधनों की भी हानि होती है.उन्होंने कहा कि अलग-अलग कर्मचारी वर्गों की समस्याएं भले ही भिन्न दिखाई देती हों, लेकिन उनका मूल कारण समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ

असमान व्यवहार है.

संघ ने कहा कि विभिन्न विभागों में समान दायित्व निभाने वाले कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति के अवसर, सेवानिवृत्ति आयु तथा अन्य सेवा लाभों में व्यापक अंतर है. लिपिकीय कर्मचारियों, फार्मासिस्टों, निरीक्षकों, सर्वे कर्मचारियों, होमगार्ड तथा स्थायी कर्मियों के बीच भी समान योग्यता और कार्यभार के बावजूद असमानताएं बनी हुई हैं.

पांच महीने से नहीं मिली वृद्धावस्था पेंशन

नवभारत न्यूज

बैरसिया,27 जुलाई. वार्ड 13 की पार्षद भाग्यश्री चंचल खत्री ने सोमवार को चौपड़ बाजार स्थित सवालियां मंदिर से बड़ी संख्या में वृद्ध महिलाओं ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च कर एसडीएम शिवांगी बघेल को ज्ञापन सौपा. पार्षद खत्री ने बताया कि पिछले पांच माह से वृद्धावस्था पेंशन बंद है.

उन्होंने कहा कि सैकड़ों बुजुर्ग महिला-पुरुषों की वृद्धावस्था पेंशन बंद होने से उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई बुजुर्गों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह की पेंशन ही जीवन-यापन का एकमात्र सहारा है. वर्तमान महंगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन की राशि 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह की जाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवेदन पुन: शुरू करने, लाड़ली बहना योजना में नए आवेदन स्वीकार करने, वार्ड क्रमांक 13 के पात्र नागरिकों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने तथा वार्ड से हाईटेंशन लाइन को हटाकर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है.

> उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा यदि 15 दिवस के भीतर मांगों पर सकारात्मक निराकरण नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर , अनोखीलाल पटेल अध्यक्ष जिला ग्रामीण, नरेंद्र शर्मा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष , रामभाई मेहर , मदनसिंह ठाकुर, पार्षद रवि करोसिया आदि उपस्थित थे.

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हुई समीक्षा

भोपाल. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति बैठक ली. बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा उपस्थित थे.

नाम परिवर्तन

यह कि पहले मेरा नाम आनन्द कुमार जैन पुत्र श्री शांति किशोर जैन था अब मेरा नाम आनन्द जैन पुत्र श्री शांति किशोर जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे. निवासी- वार्ड नं. 34, सदर बाजार कॉपरेटिव बैंक की गली, भिंड म.प्र. 477001 **(RN. 62343)**

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम फरहीन मज़हर (FARHEEN MAZHAR) था जिसे मेने बदल कर अब फरहीन (FARHEEN) कर लिया है अतः भविष्य में मुझे फरहीन (FARHEEN) के नाम से जाना वह पहचाना जाए। निवासी-बी-16/17 मयूर विहार अशोका गार्डन भोपाल म.प्र. 462023

बाघ सप्ताह में हुई पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता

भोपाल, 27 जुलाई.अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के संबध में जनमानस एवं विद्यार्थियों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सप्ताह का आयोजन 22 से 28 जुलाई तक किया जा रहा है. वन विहार संचालक विजय कुमार के निर्देशन में सोमवार प्रात: 10 बजे से 12 बजे तक विहार स्थित विहार वीथिका में सेंट जॉर्ज स्कूल, जवाहर लाल स्कूल एवं गुरुनानक पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये मध्यप्रदेश में 'बाघ विषय' पर पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई. प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागी एवं शिक्षकों ने भाग लिया.विजयी प्रतिभागियों को प्रथम द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र तथा चार प्रतिभागियों को सात्वना पुरस्कार वन विहार सहायक सचालक डॉ. रूही हक प्रदान किये. इस अवसर पर वन विहार के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे. 28 जुलाई को प्रात: 7 बजे से 9 बजे तक वन विहार में पक्षी अवलोकन शिविर का आयोजन होगा.

वन विहार में आज पक्षी अवलोकन शिविर

नोटिसों के विरोध में निगम पहुंचे व्यापारी

भोपाल. नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन पर सोमवार को सुबह से ही भारी संख्या में लोग पहुंचे. ये वे लोग थे, जिन्हें निगम ने आवासीय कॉलोनी में व्यवसायिक गतिविधियां को बंद करने के लिए10 दिन का नोटिस जारी किया था. इन कॉलोनियों में दुकानों, होटल, अस्पताल, स्कूल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों संचालित किए जा रहे हैं. इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किए थे. सभी को सोमवार तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था. उसी के चलते बड़ी संख्या में प्रभावित लोग नगर निगम मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

बैरसिया के दो स्कूलों में मिली गंभीर अनियमितताएं

बैरसिया (नवभारत न्यूज). जिला पंचायत उपाध्यक्ष एव शिक्षा समिति अध्यक्ष मोहनसिंह जाट ने बैरसिया विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र दो स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण दौरान दोनों स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और स्वच्छता से जुड़ी कई अनिमितताएं सामने आई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई और दूरभाष पर बात कर जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि नजीराबाद संकुल के मजीदगढ़ स्कूल संचालन में गंभीर अनिमितताएं सामने आई हैं. उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षक ज्योति खरे एक सप्ताह से बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं. इस संबंध में स्कूल प्रभारी अनीश खान से जानकारी मांगी तो उन्होंने संकुल प्राचार्य को सूचना देना बताया. मौके पर मौजूद संकुल प्राचार्य ने इस दावे को गलत बताया. स्कूल प्रभारी कैशबुक , लगभग 2 लाख की वार्षिक फीस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज का लेख-जोखा नहीं दिखा सके. छात्रों से पूछताछ में पता चला कि समय पूर्व छुट्टी कर दी जाती है. इसके बाद उपाध्यक्ष जाट गांव कोलूखेड़ी जंगल के स्कूल पहुंचे. यहां लगभग 2 लाख 80 हजार से निर्मित शौचालय का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन पाया गया.

> जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

जाहिर सूचना पर आपत्ति

श्री पी.बी. थापा एडवोकेट के द्वारा दिनांक 03.06.2026 को भूमि खसरा क्रमांक 272/3/2 (एस) एवं खसरा क्रमांक 277/2 (एस) के संबंध में प्रेषित जाहिर सूचना पर आपत्ति

यह कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 03.06.2026 को प्रेषित जाहिर सूचना की जानकारी मेरे पक्षकार को आज दिनांक को होने के कारण जाहिर सूचना पर आपत्ति निम्नानुसार है – मैं अपने पक्षकार की ओर से जाहिर सूचना दिनांक 03.06.2026 को आपत्ति निम्नानुसार करता हूँ–यह कि उक्त खसरा क्रमांक के संबंध में मेरे पक्षकार एवं श्रीमति ज्ञानबाई, लक्ष्मण सिंह कसाने, एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य एक अपील प्रकरण जिसका प्रकरण क्रमांक आर.सी.ए. 68/2026 है तथा खसरा क्रमांक 272/3/2 (एस) एवं खसरा क्रमांक 277/2 (एस) स्थित पटवारी हल्का खेजड़ा बरामद तहसील हुजूर जिला भोपाल में है जिसके संबंध में जिला न्यायालय भोपाल में प्रकरण विचारणधीन है। अतः सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का क्रय–विक्रय न करें।

भवदीय **फहीम कुरैशी** एडवोकेट

कार्यालय : HIG 01, अमृत कॉम्पलेक्स, भारत गैस एजेन्सी के पास, 80 फिट रोड, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) मो.नं. 9826015796

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2550020

मांग सूचना (सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(2)के अंतर्गत)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-ऋणकर्ता -श्रीमती नंदिनी पटेल एवं श्री राहुल पटेल ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया है और ऋण को गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे बिना तामील हुये वापस आ गए हैं और अत: उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋणधारी नाम	संपत्तियों का विवरण/बंधक संपत्तियों का पता	सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया राशि
1. श्रीमती नंदनी पटेल पत्नी श्री राहुल पटेल (ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता) 2. श्री राहुल पटेल पुत्र रूप राम पटेल (ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता) दोनों के पता : 1) फ्लैट नं-03, प्लाट नं. 35,दूसरी मंजिल, शाइनिंग स्टार अपार्टमेंट, अशोक विहार कॉलोनी, अशोक गार्डन, वार्ड नं.69, भोपाल-462023 (म.प्र) 2) मकान नं. 19, भदभदा रोड, सेवनिया गोंड, हुजूर, भोपाल-462044 (म.प्र) 3) मकान नं. 41, भदभदा रोड, सेवनिया गोंड, हुजूर, भोपाल-462044 (म.प्र) 4) दुकान नं. 74-75, नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दशहरा मैदान, नाथू बरखेड़ा रोड, नीलबाद, भोपाल (म.प्र) 5) फ्लैट नं. एस-04, प्लाट नं. 35, दूसरी मंजिल, शाइनिंग स्टार अपार्टमेंट, अशोक विहार कॉलोनी, अशोक गार्डन, वार्ड नं. 69, भोपाल-462023 (म.प्र)	शाइनिंग स्टार अपार्टमेंट के प्लाट नं. 35 पर स्थित फ्लैट नं.-03, द्वितीय मंजिल, अशोक विहार कॉलोनी, अशोक गार्डन, वार्ड नं. 69, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. 462023, फ्लैट का क्षेत्रफल 538 वर्ग फुट , सीमाएें : पूर्व में – फ्लैट नं.-01, पश्चिम में – कॉमन पैसेज, उत्तर में – फ्लैट नं.-04, दक्षिण में – रोड। संपत्ति मालिक : श्री नंदिनी पटेल पुत्र राहुल पटेल और श्री राहुल पटेल पुत्र श्री रूप नारायण पटेल।	15-07-2026	23-06-2026	**रु. 2546967.00** + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क आदि (23.06.2026 के अनुसार)
	शाइनिंग स्टार अपार्टमेंट के प्लाट नं. 35 पर स्थित फ्लैट नं.-04, द्वितीय मंजिल, अशोक विहार कॉलोनी, अशोक गार्डन, वार्ड नं. 69, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. 462023, फ्लैट का क्षेत्रफल 562 वर्ग फुट, सीमाएें : पूर्व- कॉमन पैसेज, पश्चिम- फ्लैट नं. एस. 03, उत्तर- रोड, दक्षिण- अन्य की संपत्ति, संपत्ति मालिक : श्री राहुल पटेल पुत्र रूप राम पटेल और श्रीमती नंदनी पटेल पत्नी श्री राहुल पटेल	15-07-2026	29-05-2026	**रु. 2552133.00** + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क आदि (29.05.2026 के अनुसार)

उपरोक्त उधारकर्ता(ओ) और उनके जमानतदार (ओ) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर इस धारा 13 नोटिस वित्तीय परिसंपत्तियों और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की उपधारा 4 की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 27.07.2026
स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

SOLAPUR MUNICIPAL CORPORATION, SOLAPUR

[UNDER AMRUT MISSION]

E-Tender Notice No. 03 for 2026-2027 [IVth Call]

Commissioner, Municipal Corporation, Solapur invites B-1 E-Tender for the work of ATAL MISSION for Underground Drainage Scheme under Amrut Programme. Designing, Providing, erecting, commissioning & giving satisfactory test & trial of Fresh Electric Power supply work with its allied equipments at C.S.No-40/2/B, 66/2 Desai Nagar STP in the State of Maharashtra, valued at Rs. 119.00 Lakhs. The e-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in from date 27/07/2026.

All relevant dates will be as per the tender published in web portal www.mahatenders.gov.in.

Tender ID :- 2026-SMC-1321834-1

Sd/-
Additional Commissioner
Solapur Municipal Corporation, Solapur

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	87785323 & 142822570	संपित्त के बदले ऋण	11-07-2026	8,33,409.24/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. राजकुमार गौर 2. कृष्णा बाई

संपत्ति का पता: वह अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा और टुकड़ा, जिसका जमीन का क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट (30 30 फीट) है और बना हुआ क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया): ग्राउंड फ़्लोर R.R.C. क्षेत्र 83.643 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति आबादी वाली जमीन खसरा नंबर 206, गाँवः जहाजपुरा, सेटलमेंट नंबर 206, पीएच नंबर 23, तहसीलः रेहटी, ज़िलाः सीहोर, मध्य प्रदेश-466445 पर स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः (धीरज लाल) राधामोहन, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः लखन लाल का खेत।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 28.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/3496/ ई-टेण्डरिंग/2025-26 — सिंगरौली, दिनांक 27/07/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	टेण्डर जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि	कार्य लागत	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD _ 524105_1	25-07-2026	Engagement of Consultant for DPR Preparation of Electric Bus Charging etc at Singrauli 6th Call	24 Months	840,000	2,000	5,000	08/08/2025
2	2026 UAD _ 523415_1	22-07-2026	Supply of 02Nos Vaccumbased Diesel truck mounted Mechanized Road Sweeping MachineBSVI4.0 CUM Capacity in Municipal Corporation Singrauli, 7th Call	1 Month	9,550,000	10,000	95,500	08/08/2026
3	2026_UAD _523339_1	22-07-2026	Supply of Water Bowser fabrcated Over Tata LPT 1961 Chassis equipment of 15000 liter capacity as Per Attached Technical Specification	1 Month	75,00,000	10,000	75,000	22-08-2026
4	2026_UAD _522927_1	21-07-2026	Bid for Supply, Repairing, Installation and Testing Of Existing Traffic Singals at Yatayat Tiraha and Majan Mode Sqaure in Municipal Corporation Singrauli, 2nd Call	1 Month	4,06,150	2,000	8,123	05/08/2026
5	2026_UAD _ 522468_1	18-07-2026	Distribution Water Supply at Ward No 2 Muher Through Tractor and Tanker on Rental Basic IInd call.	12 Months	20,25,750	2,000	40,515	03/08/2026
6	2026 UAD _522036 _1	17-07-2026	Providing and Placing Precast Drain Cover at Ward No. 44	2 Months	20,88,610	2,000	41,772	17-08-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलॉईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम सिंगरौली